

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(100)एमई/ग्रुप-1/87

जयपुर, दिनांक : 16/8/21

आदेश

डॉ. दीपक वर्मा, वरिष्ठ आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर (हाल पदस्थापित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, पाली) जिनकी जन्म तिथि 01.10.1957 है, को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2021 को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. दीपक वर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से

16/8/21

16/8/21

(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, पाली।
7. डॉ. दीपक वर्मा, वरिष्ठ आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर हाल पदस्थापित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, पाली।
8. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

16/8/21
(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव